उपाध्यक्ष महोदय : यह थर्ड रीडिंग है । किसी माननीय सदस्य का कोई नोटिस मेरे पास नहीं आया कि मैं इसमें बोलना चाहता हूं, लेकिन हाउस के हर सैक्शन से इस बिल को पास करने में कोआपरेशन मिला है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन देकर मौका दे रहा हूं । अगर किसी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर भी इसके हकदार है, मैंने कहा, यह दोनों, एक पुराने मिनिस्टर, एक अब के मिनिस्टर हकदार है । मैं सारे हाउस का इसके लिए कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने मजदूरों के हक में बहुत अच्छा बिल पास किया और आगे के लिए कदम उठाया ।

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

(mm/1450/mkg/pb)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we come to item No.23. Shri Girdhari Lal Bhargava. Are you withdrawing your Statutory Resolution Bhargavaji? आप विदड्रा कर रहे हैं न?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं तो विदड्रा करूंगा, क्योंकि सब लोगों ने बात कह दी । यह बात सही है कि भारत में जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं, मालिक हैं, इन सब की लॉबी वास्तव में मजबूत है और पहले दिन बिल को लाने में उन्होंने रुकावट डाली है । सैस के बारे में मुझे इतना सा कहना है कि आपने इसमें इतना सा कहा है कि एक परसेंट से ज्यादा नहीं, माननीय आज साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे पिछले श्रम मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, यह बात सही है, आपको अब सारा ज्ञानवर्धन हुआ और आपने उस दिन ज्ञान का प्रकाश डाला । आप अगर अपने मंत्रालय के वक्त में इस काम को पूरा कर लेते तो ... (<u>अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।</u>) यह क्रेडिट आपको जाना चाहिए था, जो उनको जा रहा है ।

राज्य बोर्ड को आपने अधिकार बहुत दे दिये, एक तो उसको अधिकार दें, उसमें विशेषज्ञ बिठाएं और आप दो परसेंट से कम किसी भी सूरत में नहीं रखें, यह प्रावधान आप रखें । सैस का मतलब यह है, एक परसेंट से अधिक नहीं, यह नहीं, इफ एंड बट नहीं, यह कानूनी भाषा नहीं, दो परसेंट से कम नहीं मिलेगा, चाहे ज्यादा मिल जाए, एक तो आप यह बात मानें और फिर इसमें भारत सरकार का क्या योगदान होगा, यह तो कहें । वरना आप तो खाली वाहवाही लूट रहे हो । उनसे पैसा लिया और आपने बोर्ड भी बना दिया, एम.पीज. को भी ले लिया, एम.एल.एज. को भी ले लिया. सब को आप प्रसन्न करने में लगे हुए हो, इससे खर्चा बढ़ेगा और परिणाम यह होगा कि फिर राज्य सरकार को पैसा कम मिलेगा, मजदूरों के जो शौचालय बनाने हैं, मूत्रालय बनाने हैं, पानी की व्यवस्था करनी है, रेस्ट रूम बनाने हैं, उनके बच्चों के लिए शिशुशाला बनानी है, उनके स्कूल बनाने हैं, उनके चिकित्सालय बनाने हैं, वह कौन बनाएगा, उसके लिए कहां से पैसा मिलेगा ? राज्य बोर्ड तो कुछ करेगा नहीं, फिर चाहे एम.एल.ए. को रख दो, चाहे एम.पी. को रख दो, चाहे विशेषज्ञ को रख दो, कुछ भी काम नहीं हो सकेगा । इसलिए ईमानदारी से यदि आप मजदूरों के हित में इस कानून को लाये हैं, जैसा आपका वचन था, आपने मिनिमम प्रोग्राम जब बनाया था, जिसमें आपने जे.डी. का जिक्र किया, 'जे' का मतलब जुलाई और 'डी' का मतलब दिसम्बर, जुलाई में आये, दिसम्बर में गये, इसलिए आपने जो मिनिमम कार्यक्रम बनाया, उसकी मैं आपको बार-बार याद दिला रहा हूं ।

[illegible]

हूं कि यह सरकार चल जाय, कुछ अच्छे काम कर दे । आप तो विपक्ष मे ही रहेंगे, आप यहां पर आकर बैठोगे, इसलिए विपक्ष की सरकार यदि बनी, चाहे आप नीतीश कुमार जी को छोड़कर उधर चले गये, यह अलग बात है, तो भी यह विपक्ष की सरकार ही कहलायेगी । इसलिए आप ठीक प्रकार से काम करें । ... (व्यवधान) राम कृपाल जी, जरा बैठ जाओ, राम जी की कृपा है ।

मेरा यही निवेदन करना है तो भी आप बदनाम हो गये कि जो इधर बैठते थे, उधर जाकर भी इन्होंने निहाल नहीं किया, इसलिए मैं तो आपको मजबूरन दिसम्बर तक का समय दे रहा हूं ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करिए ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : जी.डी. का मतलब है, जुलाई से दिसम्बर तक, इसलिए आप कुछ काम कर लें, नहीं तो मालूम पड़ेगा कि कभी कोई विपक्ष की सरकार भी बनी थी और उसने काम किया । .. (व्यवधान) मैं शोर्ट मे बात बोलता हूं, मैं तो बहुत कम बोलता हूं ।

आप कम से कम दो प्रतिशत से अधिक दें, दो प्रतिशत से कम नहीं दें, कम से कम दो प्रतिशत, यह शब्द आ जाय, अंग्रेजी में उसको मिनिमम कहते है । ... (व्यवधान) आपने बोल दिया, इसलिए बात समझ में आ गई । आप कल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं । मिनिमम दो परसेंट मिले । भारत सरकार का उसमें क्या योगदान होगा, यह बात आप बतायें । फिर जो कुछ भी बात होगी, मंत्री जी कुछ बोलें तो सही । इतने सारे लोग बोले हैं, मैं बोला हूं । ... (व्यवधान)

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : आप मंत्री जी का अभिनंदन क्यों नहीं कर रहे है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अभिनंदन तो कर ही रहा हूं, हृदय से कर रहा हूं कि आपको ही श्रेय मिल रहा है । अगर एल्फाबेटीकली श्रेय मिलना हो तो अरुणाचलम जी, 'अ' को मिले । पिछले वेंकटस्वामी का 'व' तो बाद मे आता है, इसलिए 'अ' को श्रेय मिल जाय, इसलिए आप कम से कम यह बात तो कह दें कि सैस दो परसेंट से कम नहीं होगा, उसमे भारत सरकार का योगदान होगा और मालिकों की लॉबी के सामने हम किसी प्रकार से नहीं झुकेंगे । मजदूरों के हित मे हम काम करेंगे, यह बात ईमानदारी से यदि मंत्री जी कहें तो मेरे प्रस्ताव को वापस लेने मे आपकी आज्ञा होगी तो आपकी आज्ञा के बाद तो कोई टिक ही नहीं सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी आज्ञा है ।

(nn/1455/jr-rc)

मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और बैठ जाऊंगा। आपने दो बार बैठने के लिए कह दिया है। मेरे कानों मे आपकी आवाज गूंज रही है-बैठ जाएं, बैठ जाएं। मै आपकी आज्ञा मानकर बैठ जाता हूं और कहना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे सुझाव को निश्चितरूप से मानेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is it the pleasure of the House that the Statutory Resolution moved by Shri Girdhari Lal Bhargava be withdrawn?

श्री गिरधारी लाल भार्गव: उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम है, मंत्री जी सेस के बारे में कुछ बोलेंगे या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: पहले बोल चुके हैं। वे बोलना चाहे तो मै मना नहीं करूंगा।

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, I thought that after passing the Bill, I can speak and congratulate him.

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मंत्री जी ने मीठा आश्वासन दिया है। आश्वासन पर दुनिया टिकी हुई है। आपकी आज्ञा से, सदन की अनुमति से और ... (व्यवधान)

(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।)

मैं वापस लेता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is it the pleasure of the House that the Statutory Resolution moved by Shri Girdhari Lal Bhargava be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मै अपने निरनुमोदन के प्रस्ताव को वापस लेता हूं। मै सरकार का स्वागत करता हूं, इनका भी स्वागत करता हूं। ये लोग सरकार मे बैठे है। मैं चाहता हूं कि जितना भी इनके पास समय है, ये उसमे अच्छा काम करे। इसलिए मै आपकी आज्ञा से, सदन की अनुमति से और मंत्री जी को देखकर अध्यादेश को निकाले जाने पर उसके निरनुमोदन के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

SHRI NIRMAL KANTI CHATTERJEE (DUMDUM): Sir, the hon. Member wants one assurance from the Government that there should be Ordinances and he should be permitted to move the Resolutions in the House. That is the only assurance he wants.

श्री गिरधारी लाल भार्गव: यह तो हमारा अधिकार है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on the cost of construction incurred by employers with a view to augmenting the resources of the Building and Other Construction Workers' Welfare Boards constituted under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, be taken into consideration."

The motion was adopted.

श्री जी.एम. बनातवाला (पुडुचेरी): ये जो अभी वापस ले रहे थे, मैं आपकी तवज्जोह की कोशिश कर रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं देख नहीं पाया।

श्री जी.एम. बनातवाला: वापस लिया, यह अच्छा किया, लेकिन वापस लेते हुए एक जुमला कहा, वह अच्छा नहीं है। इन्होंने कहा कि ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।) इसलिए वापस लेता हूं, यह ठीक बात नहीं है। इसको रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the record.

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।)

यह असंसदीय भाषा नहीं है। नीतीश जी सेंटर पर वर्षों बैठ चुके हैं, इनसे पूछ लें आप देख लें, यह असंसदीय नहीं है

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। यह असंसदीय तो बेशक नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीजें असंसदीय न हों, वे अच्छी भी हों। मैं देख लूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप देख लें, मैंने बहुत अच्छी बात कही है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Clause by Clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hannan Mollahji, please move your amendments.

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Sir, my amendments have been accepted in principle by the Government. So, I am not moving them.

Amendments made:

15. Page 1, line 7 -

for "one per cent." substitute -

"two per cent., but not less than one per cent."

16. Page 2, -

for lines 16 to 23, substitute -

"(3) The proceeds of the cess collected under sub-section (2) shall be paid by the local authority or the State Government collecting the cess to the Board after deducting the cost of collection of such cess, not exceeding one per cent. of the amount collected."

(Shri M. Arunachalam)

so/1500/sh-ase

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 and 5

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clauses 4 and 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

Clause 6

Amendment made:

Page 2, --

for clause 6, substitute --

Power to exempt.

"6. Notwithstanding anything contained in this Act, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, exempt any employer or class of employers in a State from the payment of cess payable under this Act where such cess is already levied and payable under any corresponding law in force in that State. (17)

(Shri M. Arunachalam)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clauses 7 to 15 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI M. ARUNACHALAM: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, I am really thankful to the Chair because you have allowed us to pass it in time. I am also very much thankful to the hon. Members who have participated in the discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The credit goes to the whole House.

SHRI M. ARUNACHYLAM: That is correct, Sir. I am very much thankful to all the Members who have participated in the discussion, and my special thanks are due to my distinguished colleague, Shri Girdhari Lal Bhargava, who has withdrawn

the Statutory Resolution. The only thing is that my good friend, Shri Bhargava, is coming to the House without reading the Bills properly. That is the only mistake he is committing. The definition of the 'employer' and 'employee' has been mentioned very clearly in the Bill.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : ऐसा नहीं है अरुणाचलम जी, मैं हर बिल पढ़कर आता हूं और एक-एक अमेंडमेंट पर आपसे बात कर सकता हूं तथा आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं पढ़कर नहीं आया हूं। मैं विधान सभा में चार बार रहा हूं, हर बिल पर बोला हूं और दसवीं तथा ग्यारहवीं लोक सभा में भी हर बिल पढ़कर आया हूं। अब आप शक्ल वाली बात पर मुझ पर आक्रमण कर रहे हों तो वह अलग बात है। ... (व्यवधान)

SHRI M. ARUNACHALAM: If you see the Bill, you will find that the definition of 'employer' and 'worker' has been clearly mentioned. There are clear provisions for payment of compensation for death or injury resulting in disability. The hon. Member asked me about the share of the Central Government. The Central Government is the biggest employer of the construction workers. About fifty per cent of the Central plan outlay is spent on the construction projects. Therefore, the Central Government will be the biggest contributor to the welfare fund being created through this Bill.

I hope, you will appreciate the Government's policy in this regard. Thank you very much.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Bill has already been passed.

gnos

1504 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) THIRD ORDINANCE

AND

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL -- Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let us now take up item Nos. 17 and 18, that is, further consideration of the Bill moved by Shri Ramakant D. Khalap. Shri Basudeb Acharia, who was on his legs yesterday, may continue.

1504 hours

SHRI BASUDEB ACHARIA (BANKURA): Sir, the Central Administrative Tribunal was constituted for the speedy disposal of the cases in regard to the Central Government employees.

(pp/1505/bru-asa)

1505 hours (Shri P.M. Sayeed - in the Chair)

But our experience is that in a large number of cases where the Central Administrative Tribunal gives the Award in favour of the employees, then the Ministry prefers an SLP in the Supreme Court. Thus, the very purpose for which this CAT was constituted is defeated. This is the experience with the RLC, the Labour Courts and the Tribunals. So, what is needed is where there is accumulation of cases, where there is no speedy disposal of cases, some mechanism should be developed so that the cases do not get accumulated and there will be speedy disposal of cases and the workers will get justice speedily.

Sir, the Air Corporation Act was repealed by this House. Previously, the Central Government was the "prescribed Government" but after the repeal of the Act and after converting the Central Public Sector Undertakings to Corporations and Corporations to limited companies, there is a need to amend the section where the "prescribed Government" is there.

I know a number of cases in the Airport Authority. Recently, Sir, in the Indira Gandhi International Airport Terminal-II, about 220 contract